न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 30/2021

श्री सैयद अरशदुल इस्लाम निवासी गोल मस्जिद के पिछे गड्डा पहाडिया सिविल लाईन रोड टोंक जिला टोंक राज0

——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी टोंक

——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 11—11—2021**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 6—08—2021 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही गई थी :—

संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र काजी सैयद मोहम्मद अब्दुल अलीम पुत्र काजी अब्दुल हलीम पुरानी टोंक रजिस्ट्रीकरण संख्या 336 रजिस्ट्रीकरण की तारीख 06.09.1996 के एस.डी.एम. आदेश 664 दिनांक 6—9—1996 के आदेश की कॉपी एवं सम्पुर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवावे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई एंव दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंक को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंक द्वारा पत्र क्रमांकः/पी.ए.2021/820 दिनांक 9—11—2021 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सुचना कार्यालय आयुक्त नगरपरिषद टोंक से संबंधित होने के कारण सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत आवेदन पत्र तत्समय ही अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतुं इस कार्यालय के पत्रांक पी.ए. 2020/2211 दिनांक 17.8.2021 द्वारा आयुक्त नगरपरिषद टोंक व अपीलार्थी को जरिये डाक से सूचित किया जा चुका है, जिसकी छाया प्रति जवाब के साथ संलग्न की गई है। जबकि अपीलार्थी ने एस.डी.एसम. टोंक के आदेश 664 दिनांक 6.9.1996 के संबंध में किसी भी तरह का जवाब/प्रति उपलब्ध नही कराई है। अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी,टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना/उक्त अधिनियम के तहत दी जाने योग्य सूचना 20 दिवस में निःशुल्क [illegible] जावे। अपीलार्थी को सूचित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो [illegible] बाद [illegible]मील दाखिल दफतर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:51:41 IST
Reason: SelfAttested

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते